संख्या पीसीएच–एचसी–(7)–02/85–जि0प0 सिरमौर– 81025
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

प्रेषितः

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

शिमला–9 दिनांक 25 अक्तूबर 2021

विषय :– पंचायत सचिवों द्वारा दूरी प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके विभाग द्वारा प्रारम्भिक पाठशाला में मल्टी टास्क वर्कर लगाने बारे अधिसूचना जारी की गई है जिसमें दूरी का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सम्बन्धित पंचायत सचिवों को प्राधिकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुसार दूरी का प्रमाण पत्र जारी करने बारे कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव के पास कोई दूरी नापने का पैमाना तथा इससे सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है। बिना किसी रिकार्ड या पैमाने के कोई प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी करना संभव नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप दूरी प्रमाण पत्र जारी करने बारे पूर्व की तरह सम्बन्धित पटवारी या लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी को अधिकृत करने की कृपा करें।

भवदीय,

12.10.2021

(ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर)
निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।